# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

**पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.**

राजस्व मूल वाद संख्या 181/2009

**वादीगण –**

01. स्व. मरियम के कायम मुकाम :–
    - 1/1. फिरोज खां पुत्र स्व. मरियम, आयु 45 वर्ष,
    - 1/2. सिकन्दर खां पुत्र स्व. मरियम, आयु 38 वर्ष,
    - 1/3. रमजान खां पुत्र स्व. मरियम, आयु 50 वर्ष,
    - 1/4. भंवरू खां पुत्र स्व. मरियम, आयु 42 वर्ष,
    - 1/5. रईसा बानो पुत्री स्व. मरियम, आयु 52 वर्ष,
    - 1/6. जुबेदा बानो पुत्री स्व. मरियम, आयु 51 वर्ष,
    - 1/7. शहनाज पुत्री स्व. मरियम, आयु 28 वर्ष,

    सभी जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण – 27, सिन्धियों का बास, पाली, तहसील व जिला पाली।
02. शौकत खां पुत्र स्व. जमाल खां,
03. मोबिन पुत्र स्व. जमाल खां,
04. रजिया पुत्री स्व. जमाल खां के कायम–मुकाम
    - 4/1. साजिद पुत्र स्व. रजिया
    - 4/2. मोइनुदीन पुत्र स्व. रजिया
    - 4/3 खुर्शिदा पुत्री स्व. रजिया
    - 4/4 गुड्डी पुत्री स्व. रजिया
    - 4/5 शीला पुत्री स्व. रजिया
    - 4/6 नजमा पुत्री स्व. रजिया
05. मना पुत्री स्व. जमाल खां,
06. समु पुत्री स्व. जमाल खां,
07. काली पुत्र स्व. जमाल खां

    सभी जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण ग्राम गंगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। हाल निवासी – सिवांची गेट अन्दर, गोरियों की गली, जोधपुर।

बनाम

**प्रतिवादीगण –**

01. श्रीमती फजरा पत्नी स्व. गफूर खां,
02. मूसे खां पुत्र स्व. गफूर खां,
03. फिरोज खां पुत्र स्व. गफूर खां,
04. आसीन खां पुत्र स्व. गफूर खां,
05. जेठी पत्नी स्व. समदर खां,

    (समदर खां पुत्र स्व. गफूर खां)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

06. सुल्तान खां पुत्र स्व. समदर खां,
07. जाकीर खां पुत्र स्व. समदर खां,
08. अनवर खां पुत्र स्व. समदर खां,
09. धाई पत्नी स्व. बाबू खां,
10. समी पुत्री स्व. बाबू खां,
11. सुबानी पुत्री स्व. बाबू खां,
    सभी जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण – ग्राम गंगाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
12. सादिक अली पुत्र डा. अब्दुल अली, जाति मुसलमान, साकिन कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
13. उप–पंजीयक, झंवर (उप तहसील कार्यालय झंवर, जिला जोधपुर।)
14. उप पंजीयक प्रथम, जोधपुर, कचहरी परिसर, जोधपुर।
15. उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर, कचहरी परिसर, जोधपुर।
16. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर, कचहरी परिसर, जोधपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

**वाद दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरूस्ती**

**उपस्थिति–**

1– वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी एवं अनिल राठी।
2– प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह व भागीरथ विश्नोई।
3– प्रतिवादी सं. 9 से 11 के विरूद्ध कार्यवाही इकतरफा।
4– प्रतिवादी संख्या 12 अनुपस्थित।
4– प्रतिवादी संख्या 13 से 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 02-7-2021

वादीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारे व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

संक्षेप में वाद पत्र के अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि स्व. अली खां के तीन पुत्र जानू खां, गफूर खां व बाबू खां थे, जिनका देहान्त हो चुका है। वाद–पत्र के पद संख्या 1 में वादीगण ने उक्त अली खां की वंशावली वर्णित की है, जिसके अनुसार जानू खां की पत्नी बिसमिला का भी देहान्त हो चुका है। जानू खां व मरियम के एक पुत्री मरियम व एक पुत्र जमाल खां हुए। वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 मरियम के वारिसान हैं तथा वादीगण संख्या 2 से 7 जमाल खां के वारिसान हैं। इसी प्रकार गफूर खां की पत्नी फजरा है, उनके चार पुत्र हुए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8, उक्त स्व. गफूर खां के वारिसान हैं। इसी प्रकार स्व. बाबू खां की पत्नी धाई, पुत्री समी व सुबानी भी इस प्रकरण में प्रतिवादीगण है।

वाद–पत्र के अनुसार वादीगण के पूर्वज अली खां की कब्जा काश्तशुदा पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि गांव गंगाणा व गांव बुझावड़, तहसील लूणी में आई हुई है। ग्राम गंगाणा में खसरा नम्बर 17 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि है और ग्राम बुझावड़ में खसरा नम्बर 58 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 424 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि है। इस प्रकार कुल कृषि भूमि 58 बीघा 3 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की पैतृक सम्पत्ति थी जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज अली खां वक्त सैटेलमेन्ट से पहले से काबिज थे व काश्त करते चले आ रहे थे, जिनके साथ उनके तीनों पुत्र जानू खां, गफूर खां व बाबू खां का भी कब्जा काश्त था व तीनों का ही कब्जा काश्त बहैसियत टीनेन्ट था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का शामलाती कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से ही आज तक चला आ रहा है और सभी अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते हैं व काबिज हैं। जब तक राज्य सरकार द्वारा बीगोड़ी वसूली गई तब तक वादीगण अपने हिस्से अनुसार बीगोड़ी गफूर खां को देते रहे जिनके द्वारा बीगोड़ी सरकार को अदा की गई।

वादीगण ने वाद पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि वादीगण शौकत व मोबिन के दादा जी जानू खां का करीब 55 वर्ष पूर्व सन् 1953 के आसपास मर्डर हो गया था। उनका मर्डर होने के बाद गफूर खां ही परिवार का कर्त्ता खानदान था जो पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन को–ओपरेटिव संघ में कार्यरत थे। अली खां के सभी पुत्रों में आपस में स्नेह व विश्वास था जिसका

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

नाजायज फायदा उठाते हुए गफूर खां ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने अकेले का नाम वक्त सैटेलमेन्ट रेकर्ड में दर्ज करवा लिया। स्व. अली खां के साथ उसके तीनों पुत्रों जानू खां, गफूर खां व बाबू खां का वक्त सैटेलमेन्ट से कब्जा काश्त चला आ रहा था और तीनों भाईयों का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा था व वादग्रस्त कुल भूमि 58 बीघा 3 बिस्वा में से प्रत्येक के हक में 19 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा भूमि थी अर्थात् वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा होने से वादीगण के हिस्से में 19 बीघा करीब भूमि आती है। अली खां के तीनों पुत्रों जानू खां, गफूर खां व बाबू खां के नाम से एक शामलाती पैतृक व पुश्तैनी मकान सिवांची गेट के अन्दर आया हुआ है जिसका पट्टा मिसल संख्या 407/1939–40 दिनांक 25–6–1940 का बना हुआ है जो तीनों पुत्रों का शामिल पट्टा था। इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि तीनों भाईयों की शामलाती कृषि भूमि ही है। गफूर खां द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज कराते समय किसी को भी भनक नहीं पड़ने दी इस कारण जानू खां के वारिसान ने कभी भी गफूर खां पर सन्देह नहीं किया लेकिन गफूर खां ने अपने भाईयों को धोखे में रखा व दोनों भाईयों जानू खां व बाबू खां का नाम खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज नहीं करवाया। बाद में सारा रेकर्ड गफूर खां के नाम से दर्ज होता रहा जबकि मौके पर काश्त शुरू से ही जानू खां, गफूर खां व बाबू खां करते आ रहे थे व उनके देहांत के बाद अब तीनों भाईयों के वारिसान अपने–अपने हिस्सों पर काश्त करते आ रहे है।

वादीगण ने वाद पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि अभी हाल ही में वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कराने व बैंक से लोन लेना चाहा तब हल्का पटवारी से पूछताछ करने पर पटवारी ने बताया कि सारा रेकर्ड गफूर खां के नाम से दर्ज हुआ है व वर्तमान में गफूर खां के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं। यह जानकारी मिलने पर वादीगण ने गफूर खां के वारिसान के समक्ष शिकायत की तो वे आश्वासन देते रहे कि आपको भी पैतृक भूमि में कुछ न कुछ हिस्सा जरूर देंगें। वे बार बार झूठा आश्वासन देते रहे, आखिर में दिनांक 22–10–2008 को गफूर खां के वारिसान ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि वे वादग्रस्त भूमि में कुछ भी हिस्सा वादीगण को नहीं देंगें तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि में काश्त नहीं करने देंगें व भूमि से बेदखल करने व भूमि को आगे बेचान करने की धमकी दी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

वादीगण ने वाद पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि गफूर खां का स्वर्गवास दिनांक 15–6–1988 को हुआ था तथा गफूर खां ने मरने से पहले ग्राम बुझावड़ की कुल भूमि 17 बीघा 18 बिस्वा में से आधी भूमि बाबू खां की पत्नी धाई के नाम दिनांक 16–3–1988 को वसीयत कर दी थी। तत्पश्चात् श्रीमती धाई द्वारा अपना 1/2 हिस्सा भूमि दिनांक 23–10–2007 को सादिक अली पुत्र डा. अब्दुल अली, जाति मुसलमान साकिन कमला नेहरू नगर, जोधपुर को बेचान कर दिया गया। अतः इस दावे में सादिक अली को भी पक्षकार बनाया गया है। गफूर खां ने जानबूझ कर पूरी जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली। मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज न होने से किसी के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से तक की घोषणा की डिक्री पाने के अधिकारी हैं। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया है कि इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जाये कि वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा ग्राम गंगाणा, व खसरा नम्बर 58 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 424 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बुजावड़, कुल भूमि रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा में से वादीगण का 1/3 हिस्सा बनता है तथा वादीगण का कब्जा काश्त खातेदारी की हैसियत से होने से वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध जारी की जाये। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाये कि वादीगण के हक व हिस्से की जमीन में वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके, वादीगण को बेदखल नहीं करे व न ही भूमि का आगे बेचान करे। वादग्रस्त भूमि का माठोमाठ बंटवाड़ा करके वादीगण के हक व हिस्से की भूमि अलग की जाये। राजस्व रिकार्ड में गफूर खां व उनके वारिसान के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाये।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादीगण के उक्त वाद पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 13 से 17 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है। बन्दोबस्त के वक्त से पूर्व या बन्दोबस्त के समय या वक्त बन्दोबस्त से आज दिन तक विवादित जमीन पर कभी भी वादीगण का कब्जा व काश्त नहीं रहा, न ही उनके पिता, दादा जानू खां का रहा। वादीगण ने झूठा वाद प्रस्तुत किया है। विवादित जमीन वादीगण या वादीगण के पिता, दादा या ससुर की कभी नहीं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रही। विवादग्रस्त जमीन का सैटेलमेन्ट के समय गफूर खां वल्द अली खां के नाम खतौनी बन्दोबस्त जारी हुआ था। विवादग्रस्त जमीन वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। विवादग्रस्त जमीन पर अली खां ने कभी भी काश्त इत्यादि नहीं की। विवादग्रस्त जमीन पर बतौर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता, दादा व ससुर गफूर खां ही काबिज थे व आज भी काबिज हैं। वादीगण का यह कहना गलत होने से अस्वीकार है कि अली खां के तीनों पुत्र विवादित जमीन पर काबिज हुए। विवादग्रस्त जमीन पर गफूर खां वक्त सैटेलमेन्ट अकेले ही काबिज थे। गफूर खां की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का कभी भी शामलाती कब्जा न तो था, न ही हो सकता है। विवादित जमीन पर वक्त सैटेलमेन्ट गफूर खां पुत्र अली खां काबिज था, उसके कब्जा काश्त के आधार पर मिसल बन्दोबस्त में अकेले गफूर खां का अंकन हुआ। विवादग्रस्त जमीन पर गफूर खां के अलावा अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा, बंट व अधिकार नहीं है। वादीगण ने राज्य सरकार को कभी बीगोड़ी अदा नहीं की। वक्त सैटेलमेन्ट से पूर्व अली खां के तीनों पुत्र यानि जानू खां, गफूर खां व बाबू खां अलग अलग रहते थे, संयुक्त परिवार होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विवादग्रस्त जमीन में वादीगण का 1/3 हिस्सा कभी भी नहीं रहा। मौके पर गफूर खां व उनके वारिसान के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त नहीं है, न ही था। विवादित जमीन की वादीगण को दिनांक 22–10–2008 को जानकारी नहीं हुई थी। गफूर खां के नाम की खातेदारी की जानकारी वादीगण को पीढ़ियों से है। जब वादीगण का कोई स्वत्व व कब्जा ही नहीं है तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। गफूर खां का स्वर्गवास दिनांक 15–6–1988 को हुआ था। बाबू खां की पत्नी धाई को वसीयत की या नहीं, इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। धाई ने विवादित जमीन कब बेची, इसकी भी प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादीगण को कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण कोई इस्तदुआ पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 9 से 11 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरूद्ध दिनांक 26–5–2010 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 दिनांक 16–6–2010 को

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

स्वयं उपस्थित हुआ था तथा वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु समय चाहा था लेकिन उसके पश्चात् वह अनुपस्थित हो गया। उसकी ओर से किसी प्रकार का कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 13 से 17 ने भी वाद पत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया।

पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

(1)– आया ग्राम बुझावड़ एवं ग्राम गंगाणा की वादग्रस्त भूमियों के उक्त खसरान की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है, वादीगण खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं ? (जिम्मे वादीगण)

(2)– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज वक्त सैटेलमेन्ट से पहले काबिज थे वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ? (जिम्मे वादीगण)

(3)– आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वक्त सैटेलमेन्ट से 1/3 हिस्से पर कब्जा व काश्त चल रहा है ? (जिम्मे वादीगण)

(4)– आया वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

(5)– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वजों की वक्त सैटेलमेन्ट से खातेदारी दर्ज है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

(6)– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का वक्त सैटेलमेन्ट से कब्जा काश्त चला आ रहा है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

(7)– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं रही है एवं वादीगण का कभी भी 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं रहा है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

(8)– आया वादीगण का वाद कानूनी रूप से मैन्टेनेबिल नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज योग्य है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

(9)– अनुतोष ?

वादीगण ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू. 1 शौकत खां, पी. डब्ल्यू. 3 श्रीमती बिसमिलाह के साक्ष्य शपथ पत्र बतौर मुख्य परीक्षण पेश किये गये। किन्तु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने अपने उक्त गवाहान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

को जिरह हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अन्ततोगत्वा दिनांक 26–5–2025 को वादीगण के गवाहान के जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण की साक्ष्य समाप्त की गई। इस प्रकार वादीगण के उक्त गवाहान से जिरह का कोई अवसर प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण के उक्त गवाहान के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र, साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह डी. डब्ल्यू. –1 फिरोज खां पुत्र गफूर का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। उक्त गवाह से जिरह का अवसर कई बार वादीगण को दिया गया लेकिन इस गवाह के अनेक बार न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी वादीगण या उनके अधिवक्ता ने इस गवाह से कोई जिरह नहीं की। इस गवाह से जिरह के अवसर देने के बावजूद वादीगण द्वारा जिरह नहीं करने के कारण दिनांक 30–6–2025 को इस गवाह से वादीगण की जिरह का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।शेष प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन उन्होंने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवाद्यकों पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पहले यह उल्लेख करना उचित व आवश्यक होगा कि इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 21–12–2016 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था जिसके अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध श्रीमती फजरा व अन्य ने मरियम व अन्य के विरूद्ध एक अपील संख्या 24/2017 (223 आरटीए) माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने उक्त अपील में दिनांक 21–3–2018 को निर्णय पारित करते हुए, अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–12–2016 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/टीए/7614/2012 जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 8–1–2014 की पालना की जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर अपीलान्ट्स

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहित सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 21–3–2018 से व्यथित होकर सादिक अली व रतन खां ने एक अपील संख्या टीए/2018/3456/जोधपुर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की। इसी प्रकार उक्त निर्णय दिनांकित 21–3–2018 से व्यथित होकर श्रीमती फजरा व अन्य ने भी एक अपील संख्या टीए/2018/3360/जोधपुर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने उक्त दोनों अपीलों में एक साथ दिनांक 24–7–2024 को निर्णय पारित करते हुए उक्त दोनों अपीलों को खारिज कर दिया तथा प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

तदोपरान्त इस न्यायालय ने उक्त माननीय न्यायालयों के आदेशों की पालना में सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया तथा विधि अनुसार अब उक्त विवाद्यकों पर निर्णय पारित किया जा रहा है। उक्त विवाद्यकों पर इस न्यायालय का विनिश्चय निम्नप्रकार है :–

**<u>विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3</u>** :–

(1)– आया ग्राम बुझावड़ एवं ग्राम गंगाणा की वादग्रस्त भूमियों के उक्त खसरान की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है, वादीगण खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं ? (जिम्मे वादीगण)

(2)– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज वक्त सैटेलमेन्ट से पहले काबिज थे वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ? (जिम्मे वादीगण)

(3)– आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वक्त सैटेलमेन्ट से 1/3 हिस्से पर कब्जा व काश्त चल रहा है ? (जिम्मे वादीगण)

उक्त तीनों विवाद्यकों को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इन विवाद्यकों के तहत वादीगण को यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि विवादित भूमि उनकी पैतृक भूमि है तथा विवादित भूमि पर वक्त सैटेलमेन्ट से पहले अली खां

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

का कब्जा काश्त था और उनके साथ उनके तीनों पुत्रों जानू खां, गफूर खां व बाबू खां का भी सैटेलमेन्ट से पहले ही कब्जा काश्त चला आ रहा था और गफूर खां ने सैटेलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियों से मिलावट व सांठ–गांठ कर अपना अकेले का नाम सैटेलमेन्ट रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। वादीगण के लिये यह प्रमाणित करना भी आवश्यक था व है कि आज भी विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु वादीगण की ओर से इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिये किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। वादीगण की ओर से जो मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये हैं, वे जिरह के अभाव में साक्ष्य में अपठनीय हैं। अतः साक्ष्य के पूर्ण अभाव में वादीगण उक्त तीनों विवाद्यकों को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य पेश न हो तो वह पक्ष असफल माना जायेगा जिस पर प्रमाण भार है। हालांकि इस प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश की गई है, लेकिन यदि तर्क के लिये मान भी लिया जाये कि प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, तब भी वादीगण को ही इन विवाद्यकों को प्रमाणित करने में असफल माना जायेगा क्योंकि इन विवाद्यकों का प्रमाण भार वादीगण पर है। ऐसी स्थिति में इन तीनों विवाद्यकों का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

**<u>विवाद्यक संख्या 5 व 6</u>** :–

(5)– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वजों की वक्त सैटेलमेन्ट से खातेदारी दर्ज है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

(6)– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का वक्त सैटेलमेन्ट से कब्जा काश्त चला आ रहा है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

इन दोनों विवाद्यकों को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 पर है। उनकी ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें उसने सशपथ कहा है कि खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि मौजा गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी मेरे पिता गफूर खां के नाम वक्त सैटेलमेन्ट से चली आ रही है तथा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 मेरे पिता गफूर खां के नाम से जारी की हुई है, जो ईएक्सडी–1 है, जो मेरे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 जो ईएक्सडी–2 है, जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 जो ईएक्सडी–3 है। मेरे पिताजी गफूर खां के नाम से खातेदारी दर्ज है। जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक उक्त भूमि पर उनका ही कब्जा काश्त रहा, उनका इन्तकाल होने के पश्चात् हम वारिसानों का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा गफूर खां का देहान्त हो जाने के बाद से हम वारिसानों के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 जो ईएक्सडी–4 है व जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 जो ईएक्सडी–5 है हम वारिसानों के नाम खातेदारी उक्त जमाबन्दी में है।

इस गवाह डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा है कि खेत खसरा नम्बर 58 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 424 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि मौजा बुझावड़ तहसील झंवर जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी मेरे पिता गफूर खां के नाम वक्त सैटेलमेन्ट से चली आ रही है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 मेरे पिता गफूर खां के नाम से जारी की हुई है, जो ईएक्सडी–6 है जिसमें मेरे पिताजी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 जो ईएक्सडी–7 है, जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 जो ईएक्सडी–8 है जिसमें मेरे पिताजी गफूर खां के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 जो ईएक्सडी–9 है जिसमें हम वारिसानों के नाम खातेदारी दर्ज है।

इस गवाह डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा है कि वक्त सैटेलमेन्ट में अली खां का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही उक्त भूमि पैतृक भूमि है, उक्त भूमि पर सैटेलमेन्ट से मेरे पिता का ही कब्जा काश्त रहा तथा मेरे पिता का देहान्त होने के बाद हम वारिसानों का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर जानू खां का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। मौके पर आज भी गफूर खां के वारिसानों का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त गवाह डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां की उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रही है तथा वादीगण उक्त गवाह की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को खण्डित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। जहां तक उक्त गवाह की साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में हमने उक्त गवाह के मौखिक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

कथनों को उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा। प्रदर्श–डी–1 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक की है जिसमें ग्राम गांगाना की खसरा नम्बर 17 की भूमि 40 बीघा 15 बिस्वा गफूर खां वल्द अली खां कौम मुसलमान साकिन जोधपुर खातेदार के पक्ष में दर्ज है। यह दस्तावेज लगभग सन् 1954 का है, अर्थात् दावा दायरी की तारीख से यह दस्तावेज लगभग 54 वर्ष पुराना है, जो स्वयं सरकारी अभिलेख है। इसके बाद प्रदर्श–डी–2 से प्रदर्श–डी–9 तक के सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह तथ्य स्वतः सिद्ध है कि विवादित भूमि वक्त बन्दोबस्त से ही गफूर खां की खातेदारी में चली आ रही है और ये सभी दस्तावेज सरकारी अभिलेख हैं, इसलिये इन पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में उक्त डी. डब्ल्यू.–1 फिरोज खां की उक्त अखण्डित मौखिक साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वजों की यानि गफूर खां की वक्त सैटेलमेन्ट से खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 यह भी प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वज गफूर खां का वक्त सैटेलमेन्ट से कब्जा काश्त चला आ रहा था और सन् 1988 में गफूर खां का इन्तकाल होने के बाद इस वादग्रस्त भूमि पर उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तर्क के लिये क्षण भर के लिये यदि यह मान भी लिया जाये कि गफूर खां ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके स्वयं का अकेले का नाम सैटेलमेन्ट के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जबकि सैटेलमेन्ट के समय से पहले ही गफूर खां के पिता व भाईयों का भी इस भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा था। हालांकि उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तर्क के लिये उक्त बात को सही माना जाना भी गलत है, लेकिन फिर भी तर्क के लिये यदि उक्त बात को सही होना मान भी लिया जाये तब भी यह बात कतई विश्वसनीय नहीं है कि जानू खां के वारिसान को और बाबू खां व उसके वारिसान को 54 वर्ष तक इस बात का पता ही नहीं चला कि विवादित भूमि की खातेदारी गफूर खां के नाम से बन्दोबस्ती के समय से चली आ रही है। उक्त 54 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी होती है। अतः यह कतई स्वीकार किये जाने योग्य

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नहीं है कि जानू खां व बाबू खां को तथा उनके वारिसान को 54 वर्षो तक इस तथ्य की जानकारी नहीं हो सकी कि विवादित भूमि गफूर खां की खातेदारी में सैटेलमेन्ट के समय से ही चली आ रही है। इतनी लम्बी अवधि तक राजस्व रिकार्ड में गफूर खां के नाम विवादित भूमि दर्ज होने के तथ्य का ज्ञान न हो पाना, कतई विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर यहां वादीगण के भाग पर दावे की मियाद का भी गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, जो निश्चित रूप से वादीगण के विरूद्ध ही जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों विवाद्यकों का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

**<u>विवाद्यक संख्या 7</u>** :–

(7)– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं रही है एवं वादीगण का कभी भी 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं रहा है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 पर है। विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया गया है तथा विवाद्यक संख्या 5 व 6 निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध किया गया है। उक्त विवाद्यकों का विवेचन करते समय यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वे यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि उनका विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादीगण का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा हो। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विवादित भूमि वक्त सैटेलमेन्ट के समय से ही गफूर खां की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर उसका उसी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा था और वर्ष 1988 में उसका इन्तकाल होने के बाद उसके वारिसान का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः उक्त विवाद्यक का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,

**विवाद्यक संख्या 8 :–**

(8)– आया वादीगण का वाद कानूनी रूप से मैन्टेनेबिल नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज योग्य है ? (जिम्मे प्रतिवादीगण)

इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 पर है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने अपने जवाबदावे में यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई थी कि प्रतिवादी संख्या 13 से 17 को वादीगण ने दावा दायरी से पूर्व दो माह का पूर्ववर्ती नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. नहीं दिया है, इसलिये यह दावा दर्ज रजिस्टर नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर दोनों पक्षों की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब दोनों ओर से कोई साक्ष्य पेश न की जाये तो वह पक्ष असफल माना जायेगा जिस पर प्रमाण भार है। चूंकि इस विवाद्यक का प्रमाण भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 पर है, इसलिये उन्हें ही इस बिन्दु को प्रमाणित करने में असफल माना जायेगा। अतः इस विवाद्यक का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या 4 :–**

(4)– आया वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 के निर्णय और विवाद्यक संख्या 5 लगायत 8 के निर्णय को देखते हुए, यह स्पष्टतः प्रमाणित हो चुका है कि वादीगण व उसके पूर्वज जानू खां व अली खां का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से के लिये किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः इस विवाद्यक का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

**विवाद्यक संख्या 9 (अनुतोष)** :– विवाद्यक संख्या 1 लगायत 7 के निर्णय को देखते हुए वादीगण का यह वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

**–: आदेश :–**

परिणामतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सव्यय खारिज किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जाये। इस निर्णय की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को प्रेषित की जाये।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज 02-7-2021 दिनांक सुनाया गया। को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी